हुक्म :

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ी
विरुद्ध - प्रार्थना बन्दलाल बगैरह बदलाल वगै० 5-12-17

5-12-17 पत्रावली पेश हुई प्रार्थी उपस्थित
पीठासीन ... अवकाश पर
... कार्य ... 16-1-18
पत्रावली ...

राड़
... रेविजन ऑफिसर

16/1/18 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। दि. 11.6.15 की आदेशिका की पालना नहीं की। अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है। आगामी पेशी दिनांक तक पालना नहीं किए जाने पर प्रा.पत्र के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किया जाएगा। पत्रावली वास्ते क्रिम कार्यवाही दिनांक 13-3-18 को पेश हो।

13/3/18 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। दिनांक 11.6.15 की आदेशिका की पालना लगभग 2 वर्ष 10 माह बाद भी नहीं की है अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है पत्रावली वास्ते पालना दि. 11.6.15 आदेशिका के दि. 19.4.18 को पेश हो।

19.04.2018
पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2011 से लम्बित होकर आज प्रार्थी को आदेशिका दिनांक 11.06.2011 की पालना में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस प्रार्थनापत्र में विपक्षी क्रम 03 के स्थान पर कोई नाम अंकित नही किये जाने से, उक्त कन्टेम्प्ट पिटीशन किसी विपक्षी क्रम 03 के विरूद्ध की जानी है, इसका प्रार्थी से स्पष्टीकरण लिया जाना था। यानि प्रकरण विगत 07 वर्षो से विपक्षीगणों की तलबी चरण पर विचाराधीन है। जो कि न्यायिक दृष्टी से बेहद खेदजनक है। पैशी दर पैशी निरन्तर प्रार्थी को उपरोक्त प्रतिपूर्ति बाबत स्मरण कराया जाता रहा है। विगत सुनवाई पर प्रार्थी को इस सम्बन्ध में अन्तिम अवसर दिया जा चुका है। एक ही विषय को लेकर बार बार स्मरण कराया जाना भी उचित नही है। इस सन्दर्भ में और अतिरिक्त अवसर दिये जाने का भी कोई संतोषप्रद कारण प्रार्थी द्वारा आज सुनवाई के दौरान सुझाया नही गया है। एक ही चरण पर पत्रावली को निरन्तर सुनावई पर चलाये जाने से न्यायालय का समय व श्रम दोना जाया होता है।
उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09, नियम 05 सी.पी.सी. के तहत, वादी की गैर अनुपालना में खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।
पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।